

NRrhl x<+ ' kkl u

विभिन्न बजट शीर्षों में मांगों के अनुसार किये गये प्रावधानों को दर्शाने वाले पत्रक

(आकड़े हजार रुपयों में)

| लेखे का शीर्ष  | अनुदान की मांग अथवा विनियोग                                   | बजट अनुमान 2004-2005 |                  |                    |
|--|---|----------------------|------------------|--------------------|
|  |   | संपूर्ण धनराशि       | पुनः प्राप्तियां | शुद्ध धनराशि       |
| 2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल                         | 28 - राज्य विधान मंडल   | 9,63,60              | 0                | 9,63,60            |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2011</b>                               | <b>9,63,60</b>       | <b>0</b>         | <b>9,63,60</b>     |
| 2012 राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक | 01 - सामान्य प्रशासन  | 2,54,55              | 0                | 2,54,55            |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2012</b>                               | <b>2,54,55</b>       | <b>0</b>         | <b>2,54,55</b>     |
| 2013 मंत्रि परिषद  | 01 - सामान्य प्रशासन  | 8,46,88              | 0                | 8,46,88            |
|  | 04 - गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय                           | 80,00                | 0                | 80,00              |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2013</b>                               | <b>9,26,88</b>       | <b>0</b>         | <b>9,26,88</b>     |
| 2014 न्याय प्रशासन   | 29 - न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन                               | 37,52,25             | 0                | 37,52,25           |
|  | 48 - ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान | 3,35,90              | 0                | 3,35,90            |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2014</b>                               | <b>40,88,15</b>      | <b>0</b>         | <b>40,88,15</b>    |
| 2015 निर्वाचन  | 01 - सामान्य प्रशासन  | 11,46,02             | 0                | 11,46,02           |
|  | 29 - न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन                               | 36,28,38             | 16,56,69         | 19,71,69           |
|  | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय                           | 7,64                 | 0                | 7,64               |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2015</b>                               | <b>47,82,04</b>      | <b>16,56,69</b>  | <b>31,25,35</b>    |
| 2029 भू राजस्व   | 08 - भू राजस्व तथा जिला प्रशासन                               | 65,90,50             | 0                | 65,90,50           |
|  | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय                           | 31,14                | 0                | 31,14              |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2029</b>                               | <b>66,21,64</b>      | <b>0</b>         | <b>66,21,64</b>    |
| 2030 स्टाम्प और पंजीकरण  | 07 - वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय                       | 22,69,78             | 0                | 22,69,78           |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2030</b>                               | <b>22,69,78</b>      | <b>0</b>         | <b>22,69,78</b>    |
| 2039 राज्य उत्पाद शुल्क  | 07 - वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय                       | 30,12,35             | 0                | 30,12,35           |
|  | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय                           | 57,58                | 0                | 57,58              |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2039</b>                               | <b>30,69,93</b>      | <b>0</b>         | <b>30,69,93</b>    |
| 2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर                                       | 07 - वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय                       | 19,25,51             | 0                | 19,25,51           |
|  | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय                           | 5,79                 | 0                | 5,79               |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2040</b>                               | <b>19,31,30</b>      | <b>0</b>         | <b>19,31,30</b>    |
| 2041 वाहनों पर कर  | 36 - परिवहन   | 7,78,63              | 0                | 7,78,63            |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2041</b>                               | <b>7,78,63</b>       | <b>0</b>         | <b>7,78,63</b>     |
| 2045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क                           | 12 - ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय                              | 10,71,32             | 0                | 10,71,32           |
|  | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय                           | 5                    | 0                | 5                  |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2045</b>                               | <b>10,71,37</b>      | <b>0</b>         | <b>10,71,37</b>    |
| 2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं  | 06 - वित्त विभाग से संबंधित व्यय                              | 1,10,80              | 0                | 1,10,80            |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2047</b>                               | <b>1,10,80</b>       | <b>0</b>         | <b>1,10,80</b>     |
| 2048 ऋण में कमी अथवा उससे बचाव के लिए विनियोग                        | . - भारत विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा                  | 78,00,00             | 0                | 78,00,00           |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2048</b>                               | <b>78,00,00</b>      | <b>0</b>         | <b>78,00,00</b>    |
| 2049 ब्याज संदाय   | . - भारत विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा                  | 10,67,32,60          | 0                | 10,67,32,60        |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2049</b>                               | <b>10,67,32,60</b>   | <b>0</b>         | <b>10,67,32,60</b> |
| 2051 लोक सेवा आयोग   | 01 - सामान्य प्रशासन  | 2,18,25              | 0                | 2,18,25            |
|  | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय                           | 34,22                | 0                | 34,22              |

NRrhl x<+ 'kkl u

विभिन्न बजट शीर्षों में मांगों के अनुसार किये गये प्रावधानों को दर्शाने वाले पत्रक

(आकड़े हजार रुपयों में)

| लेखे का शीर्ष                 | अनुदान की मांग अथवा विनियोग                                   | बजट अनुमान 2004-2005 |                  |                   |
|-------------------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | संपूर्ण धनराशि       | पुनः प्राप्तियां | शुद्ध धनराशि      |
|                               | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2051</b>                               | <b>2,52,47</b>       | <b>0</b>         | <b>2,52,47</b>    |
| 2052 सचिवालय - सामान्य सेवाएं | 01 - सामान्य प्रशासन  | 16,06,58             | 0                | 16,06,58          |
|                               | 02 - सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय               | 55,00                | 0                | 55,00             |
|                               | 06 - वित्त विभाग से संबंधित व्यय                              | 6,51,57              | 0                | 6,51,57           |
|                               | 08 - भू राजस्व तथा जिला प्रशासन                               | 1,06,75              | 0                | 1,06,75           |
|                               | 29 - न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन                               | 1,14,65              | 0                | 1,14,65           |
|                               | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय                           | 3,62                 | 0                | 3,62              |
|                               | 65 - विमानन विभाग   | 5,61,92              | 0                | 5,61,92           |
|                               | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2052</b>                               | <b>31,00,09</b>      | <b>0</b>         | <b>31,00,09</b>   |
| 2053 जिला प्रशासन             | 02 - सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय               | 20,00                | 0                | 20,00             |
|                               | 08 - भू राजस्व तथा जिला प्रशासन                               | 45,53,54             | 0                | 45,53,54          |
|                               | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय                           | 2,24                 | 0                | 2,24              |
|                               | 48 - ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान | 4,67,15              | 0                | 4,67,15           |
|                               | 50 - बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय            | 1,13,30              | 0                | 1,13,30           |
|                               | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2053</b>                               | <b>51,56,23</b>      | <b>0</b>         | <b>51,56,23</b>   |
| 2054 राजकोष और लेखा प्रशासन   | 06 - वित्त विभाग से संबंधित व्यय                              | 12,56,19             | 0                | 12,56,19          |
|                               | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय                           | 1,05                 | 0                | 1,05              |
|                               | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2054</b>                               | <b>12,57,24</b>      | <b>0</b>         | <b>12,57,24</b>   |
| 2055 पुलिस                    | 01 - सामान्य प्रशासन  | 1,71,30              | 0                | 1,71,30           |
|                               | 03 - पुलिस  | 3,13,93,50           | 2,00,00          | 3,11,93,50        |
|                               | 10 - वन   | 37,50                | 0                | 37,50             |
|                               | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय                           | 22,20                | 0                | 22,20             |
|                               | 48 - ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान | 3,64,50              | 0                | 3,64,50           |
|                               | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना                  | 1,88,68              | 0                | 1,88,68           |
|                               | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2055</b>                               | <b>3,21,77,68</b>    | <b>2,00,00</b>   | <b>3,19,77,68</b> |
| 2056 जेले                     | 05 - जेल  | 29,94,37             | 0                | 29,94,37          |
|                               | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय                           | 10,30                | 0                | 10,30             |
|                               | 48 - ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान | 20,00                | 0                | 20,00             |
|                               | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2056</b>                               | <b>30,24,67</b>      | <b>0</b>         | <b>30,24,67</b>   |
| 2058 लेखन सामग्री और मुद्रण   | 07 - वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय                       | 7,45                 | 0                | 7,45              |
|                               | 09 - राजस्व विभाग से संबंधित व्यय                             | 5,02,14              | 0                | 5,02,14           |
|                               | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय                           | 1,98                 | 0                | 1,98              |
|                               | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2058</b>                               | <b>5,11,57</b>       | <b>0</b>         | <b>5,11,57</b>    |
| 2059 लोक निर्माण              | 01 - सामान्य प्रशासन  | 24,50                | 0                | 24,50             |
|                               | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन                                  | 66,16,91             | 44,21,89         | 21,95,02          |
|                               | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2059</b>                               | <b>66,41,41</b>      | <b>44,21,89</b>  | <b>22,19,52</b>   |
| 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं    | 01 - सामान्य प्रशासन  | 2,02,22              | 0                | 2,02,22           |
|                               | 02 - सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय               | 69,63                | 0                | 69,63             |
|                               | 03 - पुलिस  | 22,54,59             | 0                | 22,54,59          |
|                               | 04 - गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय                           | 2,80                 | 0                | 2,80              |
|                               | 06 - वित्त विभाग से संबंधित व्यय                              | 1,50,00,00           | 0                | 1,50,00,00        |
|                               | 08 - भू राजस्व तथा जिला प्रशासन                               | 45                   | 0                | 45                |

विभिन्न बजट शीर्षों में मांगों के अनुसार किये गये प्रावधानों को दर्शाने वाले पत्रक

(आकड़े हजार रुपयों में)

| लेखे का शीर्ष                   | अनुदान की मांग अथवा विनियोग  | बजट अनुमान 2004-2005 |               |                    |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------|--------------------|
|                                 |  | संपूर्ण धनराशि       | पुनः प्राप्ति | शुद्ध धनराशि       |
|                                 | 21 - आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय   | 10                   | 0             | 10                 |
|                                 | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय  | 10,22                | 0             | 10,22              |
|                                 | 36 - परिवहन  | 2,75,75              | 0             | 2,75,75            |
|                                 | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2070</b>  | <b>1,78,15,76</b>    | <b>0</b>      | <b>1,78,15,76</b>  |
| 2071 पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ | 06 - वित्त विभाग से संबंधित व्यय   | 4,50,19,51           | 0             | 4,50,19,51         |
|                                 | 19 - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण   | 1,00,00              | 0             | 1,00,00            |
|                                 | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2071</b>  | <b>4,51,19,51</b>    | <b>0</b>      | <b>4,51,19,51</b>  |
| 2075 विविध सामान्य सेवाएं       | 02 - सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय  | 10                   | 0             | 10                 |
|                                 | 08 - भू राजस्व तथा जिला प्रशासन  | 7,02                 | 0             | 7,02               |
|                                 | 09 - राजस्व विभाग से संबंधित व्यय  | 3,15                 | 0             | 3,15               |
|                                 | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय  | 95                   | 0             | 95                 |
|                                 | 51 - धार्मिक न्यास और धर्मस्व  | 3,82                 | 0             | 3,82               |
|                                 | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2075</b>  | <b>15,04</b>         | <b>0</b>      | <b>15,04</b>       |
| 2202 सामान्य शिक्षा             | 01 - सामान्य प्रशासन   | 10,00                | 0             | 10,00              |
|                                 | 15 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक<br>योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं<br>को वित्तीय सहायता | 16,53,52             | 0             | 16,53,52           |
|                                 | 26 - संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय  | 18,08                | 0             | 18,08              |
|                                 | 27 - स्कूल शिक्षा  | 6,28,94,86           | 0             | 6,28,94,86         |
|                                 | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय  | 12,46                | 0             | 12,46              |
|                                 | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 1,49,62,96           | 0             | 1,49,62,96         |
|                                 | 44 - उच्च शिक्षा   | 1,24,06,81           | 0             | 1,24,06,81         |
|                                 | 48 - ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का<br>उन्नयन अनुदान   | 6,88,01              | 0             | 6,88,01            |
|                                 | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना   | 31,34,48             | 0             | 31,34,48           |
|                                 | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन   | 20,00                | 0             | 20,00              |
|                                 | 80 - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय<br>सहायता  | 91,61,00             | 0             | 91,61,00           |
|                                 | 81 - नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता   | 5,77,55              | 0             | 5,77,55            |
|                                 | 82 - आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय<br>पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता                | 84,41,59             | 0             | 84,41,59           |
|                                 | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2202</b>  | <b>11,39,81,32</b>   | <b>0</b>      | <b>11,39,81,32</b> |
| 2203 तकनीकी शिक्षा              | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय  | 37,69                | 0             | 37,69              |
|                                 | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 49,26                | 0             | 49,26              |
|                                 | 47 - तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग  | 24,60,81             | 0             | 24,60,81           |
|                                 | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना   | 27,30                | 0             | 27,30              |
|                                 | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन   | 10,00                | 0             | 10,00              |
|                                 | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2203</b>  | <b>25,85,06</b>      | <b>0</b>      | <b>25,85,06</b>    |
| 2204 खेल और युवा कल्याण         | 27 - स्कूल शिक्षा  | 4,59,51              | 0             | 4,59,51            |
|                                 | 43 - खेल और युवक कल्याण  | 3,87,85              | 0             | 3,87,85            |
|                                 | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन   | 10,00                | 0             | 10,00              |
|                                 | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2204</b>  | <b>8,57,36</b>       | <b>0</b>      | <b>8,57,36</b>     |
| 2205 कला और संस्कृति            | 26 - संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय  | 5,38,76              | 0             | 5,38,76            |
|                                 | 27 - स्कूल शिक्षा  | 34,47                | 0             | 34,47              |
|                                 | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय  | 4,45                 | 0             | 4,45               |
|                                 | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 1,00,00              | 0             | 1,00,00            |
|                                 | 48 - ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का  | 4,89,46              | 0             | 4,89,46            |

NRrhl x<+ ' kkl u

**विभिन्न बजट शीर्षों में मांगों के अनुसार किये गये प्रावधानों को दर्शाने वाले पत्रक**

(आकड़े हजार रुपयों में)

| लेखे का शीर्ष                  | अनुदान की मांग अथवा विनियोग  | बजट अनुमान 2004-2005 |                  |                   |
|--------------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|
|                                |  | संपूर्ण धनराशि       | पुनः प्राप्तियां | शुद्ध धनराशि      |
|                                | उन्नयन अनुदान  |                      |                  |                   |
|                                | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन   | 6,00                 | 0                | 6,00              |
|                                | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2205</b>  | <b>11,73,14</b>      | <b>0</b>         | <b>11,73,14</b>   |
| 2210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य | 15 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक<br>योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं<br>को वित्तीय सहायता | 3,00                 | 0                | 3,00              |
|                                | 18 - श्रम  | 3,55,03              | 0                | 3,55,03           |
|                                | 19 - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण   | 1,52,84,06           | 0                | 1,52,84,06        |
|                                | 20 - लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी   | 40,23                | 0                | 40,23             |
|                                | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय  | 37,07                | 0                | 37,07             |
|                                | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 42,23,66             | 0                | 42,23,66          |
|                                | 48 - ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का<br>उन्नयन अनुदान   | 4,73,20              | 0                | 4,73,20           |
|                                | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना   | 7,76,25              | 0                | 7,76,25           |
|                                | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन   | 33,00                | 0                | 33,00             |
|                                | 79 - चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय   | 57,26,60             | 0                | 57,26,60          |
|                                | 80 - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय<br>सहायता  | 2,69,10              | 0                | 2,69,10           |
|                                | 82 - आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय<br>पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता                | 35,00                | 0                | 35,00             |
|                                | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2210</b>  | <b>2,72,56,20</b>    | <b>0</b>         | <b>2,72,56,20</b> |
| 2211 परिवार कल्याण             | 19 - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण   | 54,44,30             | 0                | 54,44,30          |
|                                | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 27,00                | 0                | 27,00             |
|                                | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना   | 5,50                 | 0                | 5,50              |
|                                | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन   | 8,00                 | 0                | 8,00              |
|                                | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2211</b>  | <b>54,84,80</b>      | <b>0</b>         | <b>54,84,80</b>   |
| 2215 जल पूर्ति और सफाई         | 15 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक<br>योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं<br>को वित्तीय सहायता | 50,00                | 0                | 50,00             |
|                                | 20 - लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी   | 1,24,34,11           | 1,35,00          | 1,22,99,11        |
|                                | 21 - आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय   | 1,25,00              | 0                | 1,25,00           |
|                                | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय  | 76,22                | 0                | 76,22             |
|                                | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 55,40,99             | 0                | 55,40,99          |
|                                | 48 - ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का<br>उन्नयन अनुदान   | 4,77,96              | 0                | 4,77,96           |
|                                | 58 - प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में<br>राहत पर व्यय  | 1,00,00              | 1,00,00          | 0                 |
|                                | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना   | 31,90,10             | 0                | 31,90,10          |
|                                | 80 - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय<br>सहायता  | 10,35,00             | 0                | 10,35,00          |
|                                | 81 - नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता   | 1,02,82              | 0                | 1,02,82           |
|                                | 82 - आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय<br>पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता                | 1,60,00              | 0                | 1,60,00           |
|                                | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2215</b>  | <b>2,32,92,20</b>    | <b>2,35,00</b>   | <b>2,30,57,20</b> |
| 2216 आवास                      | 04 - गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय  | 18,16                | 0                | 18,16             |
|                                | 21 - आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय   | 2,15,00              | 0                | 2,15,00           |
|                                | 30 - पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित   | 7,87,29              | 0                | 7,87,29           |

NRrhI x<+ 'kkl u

**विभिन्न बजट शीर्षों में मांगों के अनुसार किये गये प्रावधानों को दर्शाने वाले पत्रक**

(आकड़े हजार रुपयों में)

| लेखे का शीर्ष  | अनुदान की मांग अथवा विनियोग   | बजट अनुमान 2004-2005 |                  |                   |
|--|---|----------------------|------------------|-------------------|
|  |   | संपूर्ण धनराशि       | पुनः प्राप्तियां | शुद्ध धनराशि      |
|  | व्यय  |                      |                  |                   |
|  | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  | 6,01,07              | 0                | 6,01,07           |
|  | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  | 1,86,20              | 0                | 1,86,20           |
|  | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन  | 14,04,00             | 0                | 14,04,00          |
|  | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 2216</b>  | <b>32,11,72</b>      | <b>0</b>         | <b>32,11,72</b>   |
| <b>2217 शहरी विकास</b>   | 21 - आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय  | 25,44,51             | 0                | 25,44,51          |
|  | 22 - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय निकाय  | 81,00                | 0                | 81,00             |
|  | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय   | 3,15                 | 0                | 3,15              |
|  | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  | 98,00                | 0                | 98,00             |
|  | 48 - ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान   | 2,91,19              | 0                | 2,91,19           |
|  | 53 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता                   | 1,28,30              | 0                | 1,28,30           |
|  | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  | 2,42,50              | 0                | 2,42,50           |
|  | 69 - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण   | 17,41,00             | 0                | 17,41,00          |
|  | 81 - नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता  | 23,96,34             | 0                | 23,96,34          |
|  | 83 - आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता                              | 3,19,70              | 0                | 3,19,70           |
|  | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 2217</b>  | <b>78,45,69</b>      | <b>0</b>         | <b>78,45,69</b>   |
| <b>2220 सूचना और प्रचार</b>  | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय   | 11,48,03             | 0                | 11,48,03          |
|  | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  | 60,00                | 0                | 60,00             |
|  | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 2220</b>  | <b>12,08,03</b>      | <b>0</b>         | <b>12,08,03</b>   |
| <b>2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण</b> | 15 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 8,00                 | 0                | 8,00              |
|  | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय   | 12,83                | 0                | 12,83             |
|  | 33 - आदिम जाति कल्याण   | 3,80,29,02           | 0                | 3,80,29,02        |
|  | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  | 43,46,42             | 0                | 43,46,42          |
|  | 49 - अनुसूचित जाति कल्याण   | 16,33,61             | 0                | 16,33,61          |
|  | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  | 16,80,06             | 0                | 16,80,06          |
|  | 66 - पिछड़ा वर्ग कल्याण   | 22,81,20             | 0                | 22,81,20          |
|  | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन  | 3,00                 | 0                | 3,00              |
|  | 77 - बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं    | 3,00,00              | 0                | 3,00,00           |
|  | 82 - आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता            | 20,00                | 0                | 20,00             |
|  | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 2225</b>  | <b>4,83,14,14</b>    | <b>0</b>         | <b>4,83,14,14</b> |
| <b>2230 श्रम और रोजगार</b>   | 11 - वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय   | 11,43                | 0                | 11,43             |
|  | 18 - श्रम   | 5,65,55              | 0                | 5,65,55           |
|  | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय   | 60                   | 0                | 60                |
|  | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  | 4,28,57              | 0                | 4,28,57           |
|  | 47 - तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग   | 21,11,24             | 0                | 21,11,24          |
|  | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  | 1,27,67              | 0                | 1,27,67           |
|  | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन  | 1,00                 | 0                | 1,00              |

विभिन्न बजट शीर्षों में मांगों के अनुसार किये गये प्रावधानों को दर्शाने वाले पत्रक

(आकड़े हजार रुपयों में)

| लेखे का शीर्ष                                   | अनुदान की मांग अथवा विनियोग   | बजट अनुमान 2004-2005 |                  |                   |
|---|---|----------------------|------------------|-------------------|
|   |   | संपूर्ण धनराशि       | पुनः प्राप्तियां | शुद्ध धनराशि      |
|   | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2230</b>   | <b>32,46,06</b>      | <b>0</b>         | <b>32,46,06</b>   |
| <b>2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>           | <b>01 - सामान्य प्रशासन</b>   | 5,60                 | 0                | 5,60              |
|   | <b>02 - सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय</b>  | 2,12,00              | 0                | 2,12,00           |
|   | <b>04 - गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय</b>  | 2,37,00              | 0                | 2,37,00           |
|   | <b>06 - वित्त विभाग से संबंधित व्यय</b>   | 9,52                 | 8,52             | 1,00              |
|   | <b>15 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक</b><br>योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं<br>को वित्तीय सहायता | 24,00                | 0                | 24,00             |
|   | <b>29 - न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन</b>  | 46,00                | 0                | 46,00             |
|   | <b>32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय</b>  | 10,75                | 0                | 10,75             |
|   | <b>34 - समाज कल्याण</b>   | 12,15,05             | 0                | 12,15,05          |
|   | <b>35 - पुनर्वास</b>  | 1,19,44              | 0                | 1,19,44           |
|   | <b>41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग</b>   | 1,25,50              | 0                | 1,25,50           |
|   | <b>55 - महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय</b>  | 86,89,17             | 0                | 86,89,17          |
|   | <b>64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना</b>   | 76,50                | 0                | 76,50             |
|   | <b>80 - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय</b><br>सहायता  | 84,06,75             | 0                | 84,06,75          |
|   | <b>81 - नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता</b>   | 26,00,00             | 0                | 26,00,00          |
|   | <b>82 - आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय</b><br>पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता                | 13,00                | 0                | 13,00             |
|   | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2235</b>   | <b>2,17,90,28</b>    | <b>8,52</b>      | <b>2,17,81,76</b> |
| <b>2236 पोषाहार</b>                             | <b>41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग</b>   | 29,34,52             | 0                | 29,34,52          |
|   | <b>55 - महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय</b>  | 33,91,50             | 0                | 33,91,50          |
|   | <b>64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना</b>   | 7,33,44              | 0                | 7,33,44           |
|   | <b>80 - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय</b><br>सहायता  | 50,00                | 0                | 50,00             |
|   | <b>82 - आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय</b><br>पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता                | 25,00,00             | 0                | 25,00,00          |
|   | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2236</b>   | <b>96,09,46</b>      | <b>0</b>         | <b>96,09,46</b>   |
| <b>2245 दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत</b> | <b>58 - प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में</b><br>राहत पर व्यय  | 1,11,68,05           | 28,17,05         | 83,51,00          |
|   | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2245</b>   | <b>1,11,68,05</b>    | <b>28,17,05</b>  | <b>83,51,00</b>   |
| <b>2250 अन्य सामाजिक सेवाएँ</b>                 | <b>02 - सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय</b>  | 1,00                 | 0                | 1,00              |
|   | <b>51 - धार्मिक न्यास और धर्मस्व</b>  | 98,15                | 0                | 98,15             |
|   | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2250</b>   | <b>99,15</b>         | <b>0</b>         | <b>99,15</b>      |
| <b>2251 सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ</b>            | <b>01 - सामान्य प्रशासन</b>   | 2,13,19              | 0                | 2,13,19           |
|   | <b>32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय</b>  | 7,10                 | 0                | 7,10              |
|   | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2251</b>   | <b>2,20,29</b>       | <b>0</b>         | <b>2,20,29</b>    |
| <b>2401 कृषि कार्य</b>                          | <b>08 - भू राजस्व तथा जिला प्रशासन</b>  | 1,00                 | 0                | 1,00              |
|   | <b>13 - कृषि</b>  | 69,37,19             | 0                | 69,37,19          |
|   | <b>15 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक</b><br>योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं<br>को वित्तीय सहायता | 35,40                | 0                | 35,40             |
|   | <b>32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय</b>  | 3,11                 | 0                | 3,11              |
|   | <b>41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग</b>   | 26,41,66             | 0                | 26,41,66          |
|   | <b>64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना</b>   | 4,18,59              | 0                | 4,18,59           |
|   | <b>67 - लोक निर्माण कार्य - भवन</b>   | 4,00                 | 0                | 4,00              |

NRrhl x<+ ' kkl u

विभिन्न बजट शीर्षों में मांगों के अनुसार किये गये प्रावधानों को दर्शाने वाले पत्रक

(आकड़े हजार रुपयों में)

| लेखे का शीर्ष                          | अनुदान की मांग अथवा विनियोग   | बजट अनुमान 2004-2005 |                  |                   |
|--|---|----------------------|------------------|-------------------|
|  |   | संपूर्ण धनराशि       | पुनः प्राप्तियां | शुद्ध धनराशि      |
|  | <b>80 - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता</b>   | 81,14                | 0                | 81,14             |
|  | <b>82 - आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता</b>             | 1,17,48              | 0                | 1,17,48           |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2401</b>   | <b>1,02,39,57</b>    | <b>0</b>         | <b>1,02,39,57</b> |
| <b>2402 भू और जल संरक्षण</b>           | <b>10 - वन</b>  | 1,00                 | 0                | 1,00              |
|  | <b>13 - कृषि</b>  | 9,29,83              | 0                | 9,29,83           |
|  | <b>41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोजना</b>   | 1,45,30              | 0                | 1,45,30           |
|  | <b>48 - ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान</b>  | 2,89,16              | 0                | 2,89,16           |
|  | <b>58 - प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय</b>                                       | 16,00,00             | 16,00,00         | 0                 |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2402</b>   | <b>29,65,29</b>      | <b>16,00,00</b>  | <b>13,65,29</b>   |
| <b>2403 पशु पालन</b>                   | <b>14 - पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय</b>   | 62,10,32             | 0                | 62,10,32          |
|  | <b>32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय</b>  | 3,02                 | 0                | 3,02              |
|  | <b>41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोजना</b>   | 29,81,48             | 0                | 29,81,48          |
|  | <b>64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना</b>   | 3,94,26              | 0                | 3,94,26           |
|  | <b>67 - लोक निर्माण कार्य - भवन</b>   | 10,00                | 0                | 10,00             |
|  | <b>80 - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता</b>   | 2,50,52              | 0                | 2,50,52           |
|  | <b>82 - आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता</b>             | 17,25                | 0                | 17,25             |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2403</b>   | <b>98,66,85</b>      | <b>0</b>         | <b>98,66,85</b>   |
| <b>2405 मीन उद्योग</b>                 | <b>15 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता</b> | 47,12                | 0                | 47,12             |
|  | <b>16 - मछली पालन</b>   | 5,99,56              | 0                | 5,99,56           |
|  | <b>32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय</b>  | 2,15                 | 0                | 2,15              |
|  | <b>41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोजना</b>   | 42,25                | 0                | 42,25             |
|  | <b>64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना</b>   | 68                   | 0                | 68                |
|  | <b>80 - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता</b>   | 1,37,43              | 0                | 1,37,43           |
|  | <b>82 - आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता</b>             | 84,83                | 0                | 84,83             |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2405</b>   | <b>9,14,02</b>       | <b>0</b>         | <b>9,14,02</b>    |
| <b>2406 वानिकी और वन्य जीवन</b>        | <b>10 - वन</b>  | 2,66,34,67           | 12,00,00         | 2,54,34,67        |
|  | <b>32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय</b>  | 52,42                | 0                | 52,42             |
|  | <b>41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोजना</b>   | 25,18,95             | 0                | 25,18,95          |
|  | <b>58 - प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय</b>                                       | 50,00                | 50,00            | 0                 |
|  | <b>64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना</b>   | 4,07,50              | 0                | 4,07,50           |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 2406</b>   | <b>2,96,63,54</b>    | <b>12,50,00</b>  | <b>2,84,13,54</b> |
| <b>2408 खाद्य, भंडारण और भांडागारण</b> | <b>39 - खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय</b>                                  | 4,52,91,38           | 0                | 4,52,91,38        |
|  | <b>41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोजना</b>   | 3,01,01              | 0                | 3,01,01           |
|  | <b>64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना</b>   | 84,00                | 0                | 84,00             |
|  | <b>2408</b>   | <b>4,56,76,39</b>    | <b>0</b>         | <b>4,56,76,39</b> |

NRrhl x<+ 'kkl u

विभिन्न बजट शीर्षों में मांगों के अनुसार किये गये प्रावधानों को दर्शाने वाले पत्रक

(आकड़े हजार रुपयों में)

| लेखे का शीर्ष                         | अनुदान की मांग अथवा विनियोग  | बजट अनुमान 2004-2005 |                 |                   |
|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|
|                                       |  | संपूर्ण धनराशि       | पुनः प्राप्ति   | शुद्ध धनराशि      |
| 2415 कृषि अनुसंधान और शिक्षा          | 13 - कृषि  | 8,84                 | 0               | 8,84              |
|                                       | 16 - मछली पालन   | 8,89                 | 0               | 8,89              |
|                                       | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 2,00,00              | 0               | 2,00,00           |
|                                       | 54 - कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय  | 16,72,90             | 0               | 16,72,90          |
|                                       | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना   | 3,00,00              | 0               | 3,00,00           |
|                                       | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 2415</b>   | <b>21,90,63</b>      | <b>0</b>        | <b>21,90,63</b>   |
| 2425 सहकारिता                         | 17 - सहकारिता  | 12,51,23             | 0               | 12,51,23          |
|                                       | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय  | 1,14                 | 0               | 1,14              |
|                                       | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 41,00                | 0               | 41,00             |
|                                       | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना   | 31,00                | 0               | 31,00             |
|                                       | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 2425</b>   | <b>13,24,37</b>      | <b>0</b>        | <b>13,24,37</b>   |
| 2435 अन्य कृषि कार्यक्रम              | 17 - सहकारिता  | 7,17,00              | 0               | 7,17,00           |
|                                       | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 2435</b>   | <b>7,17,00</b>       | <b>0</b>        | <b>7,17,00</b>    |
| 2501 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम | 12 - ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय   | 1,80,00              | 1,80,00         | 0                 |
|                                       | 30 - पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय  | 17,05,50             | 0               | 17,05,50          |
|                                       | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 15,06,06             | 1,40,74         | 13,65,32          |
|                                       | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना   | 3,50,78              | 10,60           | 3,40,18           |
|                                       | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 2501</b>   | <b>37,42,34</b>      | <b>3,31,34</b>  | <b>34,11,00</b>   |
| 2505 ग्रामीण रोजगार                   | 30 - पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय  | 43,75,00             | 0               | 43,75,00          |
|                                       | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 33,25,00             | 0               | 33,25,00          |
|                                       | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना   | 10,50,00             | 0               | 10,50,00          |
|                                       | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 2505</b>   | <b>87,50,00</b>      | <b>0</b>        | <b>87,50,00</b>   |
| 2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम     | 30 - पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय  | 1,12,28,35           | 0               | 1,12,28,35        |
|                                       | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय  | 68,72                | 0               | 68,72             |
|                                       | 33 - आदिम जाति कल्याण  | 5,31,25              | 0               | 5,31,25           |
|                                       | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 67,92,93             | 0               | 67,92,93          |
|                                       | 58 - प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय                                       | 50                   | 50              | 0                 |
|                                       | 59 - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं                    | 1,00,00,00           | 0               | 1,00,00,00        |
|                                       | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना   | 2,00,00              | 0               | 2,00,00           |
|                                       | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन   | 6,00                 | 0               | 6,00              |
|                                       | 80 - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता   | 1,70,01,99           | 0               | 1,70,01,99        |
|                                       | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 2515</b>   | <b>4,58,29,74</b>    | <b>50</b>       | <b>4,58,29,24</b> |
| 2701 वृहद और मध्यम सिंचाई             | 23 - जल संसाधन विभाग   | 96,51,52             | 42,05,58        | 54,45,94          |
|                                       | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय  | 2,00,57              | 0               | 2,00,57           |
| <b>योग (लेखा शीर्ष) - 2701</b>        | <b>98,52,09</b>  | <b>42,05,58</b>      | <b>56,46,51</b> |                   |
| 2702 लघु सिंचाई                       | 15 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 1,86,00              | 0               | 1,86,00           |
|                                       | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय  | 2,73                 | 0               | 2,73              |



NRrhl x<+ 'kkl u

विभिन्न बजट शीर्षों में मांगों के अनुसार किये गये प्रावधानों को दर्शाने वाले पत्रक

(आकड़े हजार रुपयों में)

| लेखे का शीर्ष                         | अनुदान की मांग अथवा विनियोग   | बजट अनुमान 2004-2005 |                 |                   |
|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|
|                                       |   | संपूर्ण धनराशि       | पुनः प्राप्ति   | शुद्ध धनराशि      |
|                                       | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग  | 1,50,00              | 0               | 1,50,00           |
|                                       | 45 - लघु सिंचाई निर्माण कार्य   | 16,86,65             | 0               | 16,86,65          |
|                                       | 58 - प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय                                      | 15,93,00             | 15,93,00        | 0                 |
|                                       | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  | 3,50,00              | 0               | 3,50,00           |
|                                       | 82 - आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता            | 1,19,00              | 0               | 1,19,00           |
|                                       | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 2702</b>  | <b>40,87,38</b>      | <b>15,93,00</b> | <b>24,94,38</b>   |
| 2705 कमान क्षेत्र विकास               | 40 - आयाकट विभाग से संबंधित व्यय  | 1,88,81              | 0               | 1,88,81           |
|                                       | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 2705</b>  | <b>1,88,81</b>       | <b>0</b>        | <b>1,88,81</b>    |
| 2801 विद्युत                          | 12 - ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय  | 1,06,06,52           | 0               | 1,06,06,52        |
|                                       | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग  | 26,98,62             | 0               | 26,98,62          |
|                                       | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  | 9,82,72              | 0               | 9,82,72           |
|                                       | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 2801</b>  | <b>1,42,87,86</b>    | <b>0</b>        | <b>1,42,87,86</b> |
| 2810 ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत     | 12 - ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय  | 19,45,50             | 4,25,50         | 15,20,00          |
|                                       | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग  | 24,00                | 24,00           | 0                 |
|                                       | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  | 30,50                | 30,50           | 0                 |
|                                       | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 2810</b>  | <b>20,00,00</b>      | <b>4,80,00</b>  | <b>15,20,00</b>   |
| 2851 ग्रामोद्योग और लघु उद्योग        | 11 - वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय   | 6,24,72              | 0               | 6,24,72           |
|                                       | 15 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 2,50                 | 0               | 2,50              |
|                                       | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय   | 27,00                | 0               | 27,00             |
|                                       | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग  | 2,41,76              | 0               | 2,41,76           |
|                                       | 56 - ग्रामोद्योग  | 19,08,51             | 0               | 19,08,51          |
|                                       | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  | 2,92,80              | 0               | 2,92,80           |
|                                       | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन  | 2,00                 | 0               | 2,00              |
|                                       | 78 - ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं                                    | 5,81,25              | 0               | 5,81,25           |
|                                       | 80 - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता  | 1,12,85              | 0               | 1,12,85           |
|                                       | 82 - आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता            | 1,50                 | 0               | 1,50              |
|                                       | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 2851</b>  | <b>37,94,89</b>      | <b>0</b>        | <b>37,94,89</b>   |
| 2852 उद्योग                           | 11 - वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय   | 17,13,80             | 0               | 17,13,80          |
|                                       | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय   | 4,30                 | 0               | 4,30              |
|                                       | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 2852</b>  | <b>17,18,10</b>      | <b>0</b>        | <b>17,18,10</b>   |
| 2853 अलोह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग | 25 - खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय  | 18,85,18             | 0               | 18,85,18          |
|                                       | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय   | 1,15                 | 0               | 1,15              |
|                                       | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग  | 72,60                | 0               | 72,60             |
|                                       | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन  | 10,00                | 0               | 10,00             |
|                                       | 80 - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता  | 1,00,00              | 0               | 1,00,00           |
|                                       | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 2853</b>  | <b>20,68,93</b>      | <b>0</b>        | <b>20,68,93</b>   |
| 3053 नगर विमानन                       | 24 - लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल  | 60,00                | 0               | 60,00             |

विभिन्न बजट शीर्षों में मांगों के अनुसार किये गये प्रावधानों को दर्शाने वाले पत्रक

(आकड़े हजार रुपयों में)

| लेखे का शीर्ष  | अनुदान की मांग अथवा विनियोग   | बजट अनुमान 2004-2005 |                  |                   |
|--|---|----------------------|------------------|-------------------|
|  |   | संपूर्ण धनराशि       | पुनः प्राप्तियां | शुद्ध धनराशि      |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 3053</b>   | <b>60,00</b>         | <b>0</b>         | <b>60,00</b>      |
| <b>3054 सड़के और पुल</b>   | <b>24 -</b> लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल                                   | 1,36,05,07           | 50               | 1,36,04,57        |
|  | <b>32 -</b> जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय                                    | 3,78,14              | 0                | 3,78,14           |
|  | <b>58 -</b> प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय       | 20,00,00             | 20,00,00         | 0                 |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 3054</b>   | <b>1,59,83,21</b>    | <b>20,00,50</b>  | <b>1,39,82,71</b> |
| <b>3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान</b>  | <b>46 -</b> विज्ञान और टेक्नालाजी   | 1,21,03              | 0                | 1,21,03           |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 3425</b>   | <b>1,21,03</b>       | <b>0</b>         | <b>1,21,03</b>    |
| <b>3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं</b>  | <b>01 -</b> सामान्य प्रशासन   | 2,07,73              | 0                | 2,07,73           |
|  | <b>31 -</b> योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय                 | 70,70                | 0                | 70,70             |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 3451</b>   | <b>2,78,43</b>       | <b>0</b>         | <b>2,78,43</b>    |
| <b>3452 पर्यटन</b>   | <b>32 -</b> जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय                                    | 15                   | 0                | 15                |
|  | <b>37 -</b> पर्यटन  | 13,25,00             | 0                | 13,25,00          |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 3452</b>   | <b>13,25,15</b>      | <b>0</b>         | <b>13,25,15</b>   |
| <b>3454 जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी</b>                                      | <b>04 -</b> गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय                                    | 10,00                | 0                | 10,00             |
|  | <b>26 -</b> संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय                                    | 7,53                 | 0                | 7,53              |
|  | <b>31 -</b> योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय                 | 4,71,81              | 0                | 4,71,81           |
|  | <b>32 -</b> जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय                                    | 25                   | 0                | 25                |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 3454</b>   | <b>4,89,59</b>       | <b>0</b>         | <b>4,89,59</b>    |
| <b>3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>   | <b>11 -</b> वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय                          | 32,13                | 0                | 32,13             |
|  | <b>32 -</b> जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय                                    | 10                   | 0                | 10                |
|  | <b>39 -</b> खाद्य , नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 1,12,75              | 0                | 1,12,75           |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 3475</b>   | <b>1,44,98</b>       | <b>0</b>         | <b>1,44,98</b>    |
| <b>3604 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन</b> | <b>07 -</b> वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय                                | 1                    | 0                | 1                 |
|  | <b>08 -</b> भू राजस्व तथा जिला प्रशासन  | 20                   | 0                | 20                |
|  | <b>81 -</b> नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता                                   | 2,52,76,85           | 0                | 2,52,76,85        |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 3604</b>   | <b>2,52,77,06</b>    | <b>0</b>         | <b>2,52,77,06</b> |
| <b>4058 लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजी परिव्यय</b>                            | <b>09 -</b> राजस्व विभाग से संबंधित व्यय                                      | 70,00                | 0                | 70,00             |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 4058</b>   | <b>70,00</b>         | <b>0</b>         | <b>70,00</b>      |
| <b>4059 कार्यालयों की इमारतें</b>  | <b>48 -</b> ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान          | 25,43,07             | 0                | 25,43,07          |
|  | <b>67 -</b> लोक निर्माण कार्य - भवन   | 17,68,06             | 0                | 17,68,06          |
|  | <b>68 -</b> आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य - भवन        | 35,00                | 0                | 35,00             |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 4059</b>   | <b>43,46,13</b>      | <b>0</b>         | <b>43,46,13</b>   |
| <b>4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय</b>                      | <b>41 -</b> आदिवासी क्षेत्र उपयोगना   | 2,15,00              | 0                | 2,15,00           |
|  | <b>47 -</b> तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग                            | 11,43,24             | 0                | 11,43,24          |
|  | <b>64 -</b> अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना                           | 4,40,00              | 0                | 4,40,00           |

विभिन्न बजट शीर्षों में मांगों के अनुसार किये गये प्रावधानों को दर्शाने वाले पत्रक

(आकड़े हजार रुपयों में)

| लेखे का शीर्ष  | अनुदान की मांग अथवा विनियोग                                   | बजट अनुमान 2004-2005 |               |                   |
|--|---|----------------------|---------------|-------------------|
|  |   | संपूर्ण धनराशि       | पुनः प्राप्ति | शुद्ध धनराशि      |
|  | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन                                  | 21,62,39             | 0             | 21,62,39          |
|  | 68 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग से संबंधित लोक निर्माण कार्य - भवन | 9,68,66              | 0             | 9,68,66           |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 4202</b>                               | <b>49,29,29</b>      | <b>0</b>      | <b>49,29,29</b>   |
| 4210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय  | 19 - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण                          | 8,35,65              | 0             | 8,35,65           |
|  | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग                                    | 7,00,00              | 0             | 7,00,00           |
|  | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना                  | 40,21                | 0             | 40,21             |
|  | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन                                  | 10,98,85             | 0             | 10,98,85          |
|  | 68 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग से संबंधित लोक निर्माण कार्य - भवन | 17,89,04             | 0             | 17,89,04          |
|  | 79 - चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय                    | 5,51,00              | 0             | 5,51,00           |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 4210</b>                               | <b>50,14,75</b>      | <b>0</b>      | <b>50,14,75</b>   |
| 4215 जल पूर्ति और मल निकासी पर पूंजी परिव्यय   | 20 - लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी                                  | 2,51,00              | 22,50         | 2,28,50           |
|  | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग                                    | 2,95,00              | 0             | 2,95,00           |
|  | 80 - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता        | 1,00                 | 0             | 1,00              |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 4215</b>                               | <b>5,47,00</b>       | <b>22,50</b>  | <b>5,24,50</b>    |
| 4216 आवास पर पूंजी परिव्यय   | 07 - वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय                       | 1,00,00              | 0             | 1,00,00           |
|  | 21 - आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय                  | 16,00,00             | 0             | 16,00,00          |
|  | 48 - ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान | 17,84,26             | 0             | 17,84,26          |
|  | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन                                  | 3,06,16              | 0             | 3,06,16           |
|  | 68 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग से संबंधित लोक निर्माण कार्य - भवन | 2,15,56              | 0             | 2,15,56           |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 4216</b>                               | <b>40,05,98</b>      | <b>0</b>      | <b>40,05,98</b>   |
| 4217 शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय   | 21 - आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय                  | 16,00,00             | 0             | 16,00,00          |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 4217</b>                               | <b>16,00,00</b>      | <b>0</b>      | <b>16,00,00</b>   |
| 4220 सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय  | 32 - जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय                           | 9,00                 | 0             | 9,00              |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 4220</b>                               | <b>9,00</b>          | <b>0</b>      | <b>9,00</b>       |
| 4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग                                    | 1,05,90,00           | 0             | 1,05,90,00        |
|  | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना                  | 18,12,00             | 0             | 18,12,00          |
|  | 66 - पिछड़ा वर्ग कल्याण                                       | 1,66,74              | 0             | 1,66,74           |
|  | 68 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग से संबंधित लोक निर्माण कार्य - भवन | 15,04,00             | 0             | 15,04,00          |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 4225</b>                               | <b>1,40,72,74</b>    | <b>0</b>      | <b>1,40,72,74</b> |
| 4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय  | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग                                    | 8,95,30              | 0             | 8,95,30           |
|  | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना                  | 2,95,00              | 0             | 2,95,00           |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 4235</b>                               | <b>11,90,30</b>      | <b>0</b>      | <b>11,90,30</b>   |
| 4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी  | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन                                  | 1,84,43              | 0             | 1,84,43           |

## विभिन्न बजट शीर्षों में मांगों के अनुसार किये गये प्रावधानों को दर्शाने वाले पत्रक

(आकड़े हजार रुपयों में)

| लेखे का शीर्ष   | अनुदान की मांग अथवा विनियोग  | बजट अनुमान 2004-2005 |                  |                 |
|---|--|----------------------|------------------|-----------------|
|   |  | संपूर्ण धनराशि       | पुनः प्राप्तियां | शुद्ध धनराशि    |
| परिव्यय   |  |                      |                  |                 |
|   | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 4250</b>   | <b>1,84,43</b>       | <b>0</b>         | <b>1,84,43</b>  |
| 4401 कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय                        | 13 - कृषि  | 1,12,00              | 10,00            | 1,02,00         |
|   | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन   | 1,00                 | 0                | 1,00            |
|   | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 4401</b>   | <b>1,13,00</b>       | <b>10,00</b>     | <b>1,03,00</b>  |
| 4402 भूमि और जल संरक्षण पर पूंजी परिव्यय                | 15 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक<br>योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं<br>को वित्तीय सहायता | 60,00                | 0                | 60,00           |
|   | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 2,00,00              | 0                | 2,00,00         |
|   | 45 - लघु सिंचाई निर्माण कार्य  | 1,80,00              | 0                | 1,80,00         |
|   | 48 - ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का<br>उन्नयन अनुदान   | 2,89,15              | 0                | 2,89,15         |
|   | 58 - प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में<br>राहत पर व्यय  | 50,00                | 50,00            | 0               |
|   | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना   | 1,00,00              | 0                | 1,00,00         |
|   | 82 - आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय<br>पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता                | 65,00                | 0                | 65,00           |
|   | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 4402</b>   | <b>9,44,15</b>       | <b>50,00</b>     | <b>8,94,15</b>  |
| 4403 पशु पालन पर पूंजी परिव्यय                          | 14 - पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय   | 60                   | 0                | 60              |
|   | 67 - लोक निर्माण कार्य - भवन   | 10                   | 0                | 10              |
|   | 68 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग से संबंधित लोक<br>निर्माण कार्य - भवन   | 10,00                | 0                | 10,00           |
|   | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 4403</b>   | <b>10,70</b>         | <b>0</b>         | <b>10,70</b>    |
| 4405 मीन उद्योग पर पूंजी परिव्यय                        | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 10,00                | 0                | 10,00           |
|   | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 4405</b>   | <b>10,00</b>         | <b>0</b>         | <b>10,00</b>    |
| 4406 वानिकी और वन्य जीवन पर<br>पूंजी- गत परिव्यय        | 10 - वन  | 5,40,00              | 0                | 5,40,00         |
|   | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 4,96,83              | 0                | 4,96,83         |
|   | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 4406</b>   | <b>10,36,83</b>      | <b>0</b>         | <b>10,36,83</b> |
| 4408 खाद्य भंडारण और भंडागारण पर<br>पूंजी परिव्यय       | 17 - सहकारिता  | 2,26,00              | 0                | 2,26,00         |
|   | 39 - खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण<br>विभाग से संबंधित व्यय                                     | 2,50,00              | 1,50,00          | 1,00,00         |
|   | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 1,01                 | 0                | 1,01            |
|   | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 4408</b>   | <b>4,77,01</b>       | <b>1,50,00</b>   | <b>3,27,01</b>  |
| 4425 सहकारिता पर पूंजी परिव्यय                          | 06 - वित्त विभाग से संबंधित व्यय   | 3,50,00              | 0                | 3,50,00         |
|   | 17 - सहकारिता  | 16,00,48             | 0                | 16,00,48        |
|   | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 92,00                | 0                | 92,00           |
|   | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना   | 68,00                | 0                | 68,00           |
|   | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 4425</b>   | <b>21,10,48</b>      | <b>0</b>         | <b>21,10,48</b> |
| 4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों<br>पर पूंजी परिव्यय | 30 - पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित<br>व्यय   | 20,00                | 0                | 20,00           |
|   | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 12,76,00             | 0                | 12,76,00        |
|   | 60 - जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय   | 18,58,00             | 0                | 18,58,00        |
|   | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना   | 3,96,00              | 0                | 3,96,00         |
|   | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 4515</b>   | <b>35,50,00</b>      | <b>0</b>         | <b>35,50,00</b> |

विभिन्न बजट शीर्षों में मांगों के अनुसार किये गये प्रावधानों को दर्शाने वाले पत्रक

(आकड़े हजार रुपयों में)

| लेखे का शीर्ष                                       | अनुदान की मांग अथवा विनियोग  | बजट अनुमान 2004-2005 |                   |                   |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|   |  | संपूर्ण धनराशि       | पुनः प्राप्तियां  | शुद्ध धनराशि      |
| 4701 वृहद और मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय          | 23 - जल संसाधन विभाग   | 3,41,66,62           | 3,96,00           | 3,37,70,62        |
|   | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 32,65,00             | 0                 | 32,65,00          |
|   | 57 - जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं                                   | 2,40,00              | 0                 | 2,40,00           |
|   | 75 - जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं                                   | 80,00,00             | 0                 | 80,00,00          |
|   | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 4701</b>   | <b>4,56,71,62</b>    | <b>3,96,00</b>    | <b>4,52,75,62</b> |
| 4702 लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय                    | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 1,00,66,00           | 0                 | 1,00,66,00        |
|   | 45 - लघु सिंचाई निर्माण कार्य  | 64,48,00             | 4,05,00           | 60,43,00          |
|   | 58 - प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय                                       | 50,00                | 50,00             | 0                 |
|   | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना   | 7,37,00              | 0                 | 7,37,00           |
|   | 75 - जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं                                   | 70,00,00             | 0                 | 70,00,00          |
| <b>योग (लेखा शीर्ष) - 4702</b>                      | <b>2,43,01,00</b>  | <b>4,55,00</b>       | <b>2,38,46,00</b> |                   |
| 4705 कमान क्षेत्र विकास पर पूंजी परिव्यय            | 40 - आयाकट विभाग से संबंधित व्यय   | 32,60,00             | 0                 | 32,60,00          |
|   | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 4705</b>   | <b>32,60,00</b>      | <b>0</b>          | <b>32,60,00</b>   |
| 4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय      | 23 - जल संसाधन विभाग   | 40,00                | 0                 | 40,00             |
|   | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 4711</b>   | <b>40,00</b>         | <b>0</b>          | <b>40,00</b>      |
| 4851 ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय | 11 - वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय  | 17,01,00             | 0                 | 17,01,00          |
|   | 15 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 2,00                 | 0                 | 2,00              |
|   | 35 - पुनर्वास  | 6,72                 | 0                 | 6,72              |
|   | 56 - ग्रामोद्योग   | 25,00                | 0                 | 25,00             |
|   | 78 - ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं                                     | 3,58,47              | 0                 | 3,58,47           |
|   | 80 - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता   | 1,25                 | 0                 | 1,25              |
|   | 82 - आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता             | 1,00                 | 0                 | 1,00              |
| <b>योग (लेखा शीर्ष) - 4851</b>                      | <b>20,95,44</b>  | <b>0</b>             | <b>20,95,44</b>   |                   |
| 4885 उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय       | 06 - वित्त विभाग से संबंधित व्यय   | 1,50,00              | 0                 | 1,50,00           |
|   | <b>योग (लेखा शीर्ष) - 4885</b>   | <b>1,50,00</b>       | <b>0</b>          | <b>1,50,00</b>    |
| 5053 नगर विमानन पर पूंजी परिव्यय                    | 24 - लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल   | 90,00                | 0                 | 90,00             |
|   | 65 - विमानन विभाग  | 2,00,00              | 0                 | 2,00,00           |
| <b>योग (लेखा शीर्ष) - 5053</b>                      | <b>2,90,00</b>   | <b>0</b>             | <b>2,90,00</b>    |                   |
| 5054 सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय             | 24 - लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल   | 1,62,18,63           | 0                 | 1,62,18,63        |
|   | 42 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल                                 | 2,12,39,53           | 0                 | 2,12,39,53        |

विभिन्न बजट शीर्षों में मांगों के अनुसार किये गये प्रावधानों को दर्शाने वाले पत्रक

(आकड़े हजार रुपयों में)

| लेखे का शीर्ष  | अनुदान की मांग अथवा विनियोग   | बजट अनुमान 2004-2005 |                  |                   |
|--|---|----------------------|------------------|-------------------|
|  |   | संपूर्ण धनराशि       | पुनः प्राप्तियां | शुद्ध धनराशि      |
|  | 58 - प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय                    | 50,00                | 50,00            | 0                 |
|  | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  | 81,51,00             | 0                | 81,51,00          |
|  | 76 - लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं              | 10,00                | 0                | 10,00             |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 5054</b>   | <b>4,56,69,16</b>    | <b>50,00</b>     | <b>4,56,19,16</b> |
| 5452 पर्यटन पर पूंजी परिव्यय   | 37 - पर्यटन   | 4,12,00              | 0                | 4,12,00           |
|  | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोगना  | 88,00                | 0                | 88,00             |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 5452</b>   | <b>5,00,00</b>       | <b>0</b>         | <b>5,00,00</b>    |
| 5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय                                       | 08 - भू राजस्व तथा जिला प्रशासन   | 18,75                | 0                | 18,75             |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 5475</b>   | <b>18,75</b>         | <b>0</b>         | <b>18,75</b>      |
| 6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण   | .. - भारत विनियोग- लोक ऋण   | 3,46,29,12           | 0                | 3,46,29,12        |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 6003</b>   | <b>3,46,29,12</b>    | <b>0</b>         | <b>3,46,29,12</b> |
| 6004 केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम   | .. - भारत विनियोग- लोक ऋण   | 5,86,36,66           | 0                | 5,86,36,66        |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 6004</b>   | <b>5,86,36,66</b>    | <b>0</b>         | <b>5,86,36,66</b> |
| 6075 विविध सामान्य सेवाओं के लिए उधार  | 36 - परिवहन   | 20,00,00             | 0                | 20,00,00          |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 6075</b>   | <b>20,00,00</b>      | <b>0</b>         | <b>20,00,00</b>   |
| 6215 जल पूर्ति और सफाई के लिए उधार   | 20 - लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी  | 15,00,00             | 0                | 15,00,00          |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 6215</b>   | <b>15,00,00</b>      | <b>0</b>         | <b>15,00,00</b>   |
| 6217 नगर विकास के लिए उधार   | 21 - आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय  | 1,00                 | 0                | 1,00              |
|  | 53 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 1,00                 | 0                | 1,00              |
|  | 69 - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण                                   | 3,36,00              | 0                | 3,36,00           |
|  | 81 - नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता  | 6,00,00              | 0                | 6,00,00           |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 6217</b>   | <b>9,38,00</b>       | <b>0</b>         | <b>9,38,00</b>    |
| 6225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उधार | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  | 95,00                | 0                | 95,00             |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 6225</b>   | <b>95,00</b>         | <b>0</b>         | <b>95,00</b>      |
| 6235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए उधार   | 35 - पुनर्वास   | 9,80                 | 0                | 9,80              |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 6235</b>   | <b>9,80</b>          | <b>0</b>         | <b>9,80</b>       |
| 6245 दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत के लिए उधार                                     | 58 - प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय                    | 5,00                 | 0                | 5,00              |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 6245</b>   | <b>5,00</b>          | <b>0</b>         | <b>5,00</b>       |
| 6401 कृषि कार्य के लिए उधार  | 08 - भू राजस्व तथा जिला प्रशासन   | 3,89,40              | 0                | 3,89,40           |
|  | 10 - वन   | 2,00                 | 0                | 2,00              |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 6401</b>   | <b>3,91,40</b>       | <b>0</b>         | <b>3,91,40</b>    |
| 6406 वानिकी और वन्य जीवन के लिए  | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोगना  | 8,99,17              | 0                | 8,99,17           |

विभिन्न बजट शीर्षों में मांगों के अनुसार किये गये प्रावधानों को दर्शाने वाले पत्रक

(आकड़े हजार रुपयों में)

| लेखे का शीर्ष                                  | अनुदान की मांग अथवा विनियोग  | बजट अनुमान 2004-2005 |                   |                      |
|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|  |  | संपूर्ण धनराशि       | पुनः प्राप्तियां  | शुद्ध धनराशि         |
| उधार   |  |                      |                   |                      |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 6406</b>  | <b>8,99,17</b>       | <b>0</b>          | <b>8,99,17</b>       |
| 6408 खाद्य भंडारण और भंडागारण के लिए उधार      | 17 - सहकारिता  | 3,64,00              | 0                 | 3,64,00              |
|  | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 7,52                 | 0                 | 7,52                 |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 6408</b>  | <b>3,71,52</b>       | <b>0</b>          | <b>3,71,52</b>       |
| 6425 सहकारिता के लिए उधार                      | 17 - सहकारिता  | 32,72,17             | 0                 | 32,72,17             |
|  | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 31,00                | 0                 | 31,00                |
|  | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना   | 34,00                | 0                 | 34,00                |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 6425</b>  | <b>33,37,17</b>      | <b>0</b>          | <b>33,37,17</b>      |
| 6801 विद्युत परियोजनाओं के लिए उधार            | 12 - ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय   | 24,69,25             | 24,69,25          | 0                    |
|  | 41 - आदिवासी क्षेत्र उपयोग   | 18,76,63             | 10,00,00          | 8,76,63              |
|  | 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना   | 5,92,62              | 0                 | 5,92,62              |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 6801</b>  | <b>49,38,50</b>      | <b>34,69,25</b>   | <b>14,69,25</b>      |
| 6851 ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए उधार | 11 - वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय  | 5,00                 | 0                 | 5,00                 |
|  | 15 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 3,00                 | 0                 | 3,00                 |
|  | 56 - ग्रामोद्योग   | 5,20                 | 0                 | 5,20                 |
|  | 80 - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता   | 17,00                | 0                 | 17,00                |
|  | 82 - आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता             | 3,00                 | 0                 | 3,00                 |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 6851</b>  | <b>33,20</b>         | <b>0</b>          | <b>33,20</b>         |
| 7610 सरकारी सेवकों आदि को उधार                 | 01 - सामान्य प्रशासन   | 10,00                | 0                 | 10,00                |
|  | 06 - वित्त विभाग से संबंधित व्यय   | 1,25,00              | 0                 | 1,25,00              |
|  | 10 - वन  | 2,00                 | 0                 | 2,00                 |
|  | <b>योग ( लेखा शीर्ष )- 7610</b>  | <b>1,37,00</b>       | <b>0</b>          | <b>1,37,00</b>       |
|  | <b>वृहद योग -</b>  | <b>1,05,55,12,44</b> | <b>2,54,02,82</b> | <b>1,03,01,09,62</b> |